

(1)

सर्वश्री पुरुषोत्तम इन्डस्ट्रीज लि०,
इन्डस्ट्रीयल स्टेट, सुनहरा रोड़ रुड़की।

// आदेश //

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-57 के अन्तर्गत

सर्वश्री पुरुषोत्तम इन्डस्ट्रीज लि०, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, सुनहरा रोड़ रुड़की द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र मेरे समक्ष दिनांक 24-09-2008 को देकर यह स्पष्ट किया है कि आवेदनकर्ता एम०एस०पाइप एवं जी०आई० पाइप के निर्माण एवं बिक्री का कार्य पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं तथा स्वयंनिर्मित माल की बिक्री प्रान्त के अन्दर, केन्द्रीय बिक्री के दौरान, स्टॉक ट्रॉन्सफर एवं प्रान्त बाहर ऐजेन्ट के माध्यम से कन्साइनमेन्ट सेल के रूप में करते हैं। प्रार्थना-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता कच्चा माल प्रान्त के अन्दर से फार्म-11 के माध्यम से तथा प्रान्त बाहर से भी खरीदते हैं। आवेदनकर्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट सेल के रूप में विक्रय हेतु भेजे गये माल का मूल्य/मात्रा उसके निर्माण में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल के सापेक्ष सदैव कम ही रही है। अतएव ऐसी दशा में आयातित कच्चे माल के सापेक्ष निर्मित माल को स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट सेल के रूप में घोषित किये जाने पर स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रान्तीय खरीदे कच्चे माल पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-6 के अन्तर्गत अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ मिल सके।

2- प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बंध में विभागीय अभिमत भी प्राप्त किया गया तथा आवेदनकर्ता के अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

3- स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट बिक्री में प्रयुक्त प्रान्तीय कच्चे माल के निर्धारण के सम्बंध में विभाग का कथन यह है कि सर्वप्रथम कुल बिक्री में स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट पर प्रेषित माल का प्रतिशत निकाल लिया जाय तत्पश्चात् आरम्भिक रहतिया में उपलब्ध प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल के मूल्य में वर्ष के दौरान क्रय किये गये प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल के मूल्य का योग करके उक्त योग में से अन्तिम रहतिया में उपलब्ध प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल के मूल्य को घटा दिया जाये। इस प्रकार प्राप्त प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल का मूल्य वह मूल्य होगा जिससे निर्माण किया गया है। अब इस मूल्य में से प्रान्तीय कच्चे माल तथा आयातित कच्चे माल का अलग-अलग प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाय। इसके पश्चात् निर्माण में प्रयुक्त कुल कच्चे माल का वही प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाय जो कुल बिक्री में स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट बिक्री का है इससे स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट पर प्रेषित माल में प्रयुक्त माल का मूल्य निकल आयेगा। अब इसमें से कुल निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल में प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल के ज्ञात किये गये प्रतिशत के अनुसार प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल का मूल्य ज्ञात कर लिया जाय। इस प्रकार स्टॉक ट्रॉन्सफर/कन्साइनमेन्ट पर प्रेषित माल में प्रान्तीय तथा आयातित कच्चे माल दोनों के उपयोग का लाभ देकर प्रान्तीय माल पर वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत की दर से अधिक अदा किये गये कर का ही आई०टी०सी० का लाभ दिया जाना है। दिनांक 01-04-2008 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-8(1) में विहित कर की दर से अधिक का लाभ आई०टी०सी० के रूप में व्यापारी को अनुमन्य होगा।

4- विभागीय आख्या में यह भी कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुमन्यता के सम्बंध में व्यापारी को एक नोटिस भी कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से दिनांक 02-06-2008 को जारी किया गया है। अतएव प्रार्थना-पत्र में उठाया गया प्रश्न धारा-57 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।


5- विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि माल के निर्माण हेतु प्रयुक्त कच्चा माल प्रान्त के अन्दर फार्म-11 के माध्यम से रियायती दर पर अथवा प्रान्त बाहर से आयातित माल के रूप में क्रय करने हेतु आवेदनकर्ता स्वतंत्र है तथा यदि आयातित कच्चे माल से निर्मित माल बराबर मात्रा में अथवा उससे कम मात्रा में यदि स्टॉक ट्रान्सफर/कन्साइनमेन्ट सेल के माध्यम से प्रान्त बाहर बिक्री हेतु भेजा जाता है तो ऐसे सम्बन्धों के सापेक्ष अनुपातिक रूप से प्रान्तीय कच्चे माल की खरीद पर अनुमन्य आई0टी0सी0 की धनराशि में से कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर सेल्स टैक्स बनाम मोदी इन्डस्ट्रीज, 1989 यू0पी0टी0सी0-57 के मामले में दिनांक 29-10-88 को दिये गये निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया है कि "Purchases of raw material from Ex UP as-well-as against from 'IIB'- Ex UP purchases of raw material worked out to 8646 Tonnes while sale of finished products on consignment basis outside U.P worked out to 7730 Tonns- That inference raw material purchased against form 'IIB' was not utilized for sale of finished products on consignment basis outside U.P --. Assessee is not liable to pay any amount under sub-sec.(6) of sec. 4-B, photo copy of above mentioned judgment is being enclosed herewith." अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उनकी ओर से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आयातित एवं प्रान्तीय कच्चे माल की खरीद का चार्ट मात्रा के अनुसार दाखिल किया गया है तथा प्रान्तीय बिक्री/केन्द्रीय बिक्री एवं स्टॉक ट्रान्सफर/कन्साइनमेन्ट सेल का विवरण भी मात्रा के अनुसार दाखिल किया गया है तथा उनके विवरण पत्रों से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा कभी भी आयातित कच्चे माल के सापेक्ष निर्मित मात्रा से अधिक माल स्टॉक ट्रान्सफर/कन्साइनमेन्ट सेल के रूप में घोषित नहीं किया गया है। यह तर्क भी दिया गया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में आवेदनकर्ता को प्रान्तीय कच्चे माल पर अदा किये गये कर का पूरा लाभ modvat के रूप में निर्मित माल पर देय कर के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिया गया है। अतएव इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आवेदनकर्ता के मामले में अपनायी जा रही प्रक्रिया उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में जो नोटिस दिया गया है वो किसी धारा एवं नियम के अन्तर्गत नहीं है। अतएव अधिनियम की धारा-25, 26 धारा-29 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही वर्तमान में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लम्बित नहीं है।

मेरे द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। निर्विवाद रूप से ऐसे व्यापारियों के मामले में जहाँ पर कि प्रान्तीय एवं आयातित खरीद के सम्बन्ध में पृथक-पृथक स्टॉक रजिस्टर नहीं रखे गये हैं तथा निर्माण सम्बन्धी विवरण पृथक-पृथक नहीं रखा गया हो उन मामलों में सर्वश्री छीतरमल राम दयाल बनाम सी0एस0टी0(एस0टी0आई0 1980 इलाहबाद, हाईकोर्ट 498): (1980 यू0पी0टी0सी0 274), सी0एस0टी0 बनाम गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि0 (1983 यू0पी0टी0सी0 618), सी0एस0टी0 बनाम शंकर आयल मिल्स (1983 यू0पी0टी0सी0 1097) तथा सी0एस0टी0 बनाम बैरार आयल इन्डस्ट्रीज (1975-36- एस0टी0सी0473) के मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में इस आदेश के प्रस्तर-3 में समानुपातिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनायी जा रही है वह पूर्णतः सही है। चूँकि आवेदनकर्ता के द्वारा प्रान्तीय एवं आयातित कच्चे माल के सम्बन्ध में पृथक-पृथक स्टॉक रजिस्टर रखे जाने की बात कही गई है तथा विभागीय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 में प्राविधानित व्यवस्थानुरूप प्रान्तीय खरीदे कच्चे माल पर दिये गये कर का set off धारा-4BB के अन्तर्गत निर्मित माल पर देय कर के विरुद्ध लगातार आवेदनकर्ता को पूर्ववर्ती कर निर्धारण आदेशों के माध्यम से

0603

अनुमन्य कराया गया है एवं आवेदनकर्ता द्वारा अभी भी उसी प्रकार से बहीखाते रखे गये हों तथा आयातित कच्चे माल से निर्मित माल की मात्रा पारेषण (कन्साइनमेन्ट) अथवा डिपो ट्रांसफर के माध्यम से घोषित मात्रा से अधिक हो तो पूर्ववर्ती प्रक्रियानुसार मूल्यवर्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत भी प्रान्त में कच्चे माल पर अदा किये गये कर का set off वस्तुतः ITC के रूप में निर्मित माल पर देय कर के विरुद्ध नियमानुसार अनुमन्य कराया जाना चाहिए। समानुपातिक दर से ITC गणना करने की प्रक्रिया उस अवस्था में भी सही रहेगी जहाँ आयातित कच्चे माल से निर्मित माल के सापेक्ष पारेषण (कन्साइनमेन्ट)/ डिपो ट्रांसफर किये गये माल की मात्रा अधिक आती हो। अतएव उन मामलों में जहाँ पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-59 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप बहीखाते रखे गये हों तथा प्रान्त बाहर बिक्री हेतु भेजे गये माल तथा आयातित एवं कच्चे माल की खरीद के सम्बंध में यथासम्भव पृथक-पृथक लेखापुस्तकें सत्यापन हेतु पृथक-पृथक रखी गयी हों तो ऐसे मामलों में प्रस्तर-3 में वर्णित कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर आईटीसी का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में अपनायी जा रही प्रक्रिया विधिक रूप से उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है।



06.03.09
(वी०के०सक्सेना)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

4363 06/03/09

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग हरिद्वार।
- 2- डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर, रुड़की।
- 3- सर्वश्री पुरुषोत्तम इन्डस्ट्रीज लि०, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, सुनहरा रोड़ रुड़की।


06.03.09
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।